डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / छात्रवृत्ति / 2024 / 3851 दिनांकः 27 अगस्त, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पत्र संख्या 563 / 64–2–2024 दिनांक 16.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 01 पर वित्तीय वर्ष 2024–25 से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किये जाने की समय–सारणी के अनुसार शिक्षण संस्थाओं का मास्टर डाटाबेस तैयार कर लॉक किये जाने की कार्यवाही पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

बिन्दु संख्या 03 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत समूह–1 में आने वाले पाठ्यक्रम से सम्बन्धित छात्र / छात्राओं की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमैट्रिक / फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम के तहत किया जाना अनिवार्य है। एवं अगले वित्तीय वर्ष से शेष समूह–2,3 एवं 4 के पाठयक्रमों के लिए भी इसी प्रकार उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक है।

तथा बिन्दु संख्या 04 पर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि सम्बन्धित छात्र / छात्राओं के आधार आधारित बैंक खाता के माध्यम से वितरित की जाती है। अतः सभी छात्र / छात्राओं के बैंक खाता का के0वाई0सी0 किया जाना अत्यावश्यक है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पत्र में की गयी अपेक्षा के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, सचिवालय, लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

सुभाष चन्द शर्मा
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

संख्याः 563/64-2-2024
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
कक्ष सं0 301, बापू भवन
उत्तर प्रदेश सचिवालय
लखनऊ-226001
कार्यालय : 0522-2238063/2214657
ई-मेल : secretarywhd@gmail.com,
backwardwelfare12@gmail.com

दिनांक 26/08/2024

महोदय,

अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भाँति उत्तर प्रदेश **पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग** द्वारा संचालित **दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना** के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किए जाने की समय-सारिणी निर्गत की जा चुकी है (प्रति संलग्न)। तद्नुसार शिक्षण संस्थाओं के मास्टर डाटाबेस तैयार किए जाने इत्यादि की कार्यवाही इस समय चल रही है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक/प्राचार्यों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की **समय-सारिणी** के अनुसार आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित/सूचित करने का कष्ट करें, ताकि सभी पात्र छात्र/छात्राएं समय से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकें।

2- विगत वर्षों में कई बार संज्ञान में आया है कि **विश्वविद्यालय के नामित नोडल अधिकारी** स्तर/सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के स्तर से छात्रों द्वारा आवेदन करने, विश्वविद्यालय द्वारा फीस एवं सीट सत्यापन किए जाने, शिक्षण संस्थाओं द्वारा मार्क्स इत्यादि तथ्यों का सत्यापन करते हुए अग्रसारण करने इत्यादि कार्यवाहियां करने में विलम्ब कर दिया जाता है, जिसके कारण कई बार पात्र छात्र छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अतः अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नामित नोडल अधिकारी को भी सतर्क करते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें, कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही/गतिविधियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

3- यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत **समूह-1 में आने वाले पाठ्यक्रम** (प्रति संलग्न) से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति **आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम** के तहत किया जाना अनिवार्य है। अगले वित्तीय वर्ष से शेष समूह-2, 3 एवं 4 के पाठ्यक्रमों के लिए भी इसी प्रकार उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय कैम्पस, आपसे सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थाओं इत्यादि में श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा संचालित उक्त उपस्थिति प्रणाली को अपने वित्तीय संसाधनों से स्थापित करवाए जाने का कष्ट करें।

V. Important
Registrar
DR(D)
AR

4- यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के **आधार आधारित बैंक खाता** के माध्यम से वितरित की जाती है। अतः सभी छात्र/छात्राओं के बैंक खाता का **के0वाई0सी0 किया जाना** अत्यावश्यक है। अतः अनुरोध है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्यों से अनुरोध कर लिया जाए कि वे प्राध्यापकों/कक्षाध्यापकों इत्यादि के माध्यम से छात्र/छात्राओं और उनके अभिभावकों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित सभी आवश्यक प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं से भली-भाँति अवगत करा दें, ताकि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा वंचित न रह सके।

मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके सहयोग एवं सकारात्मक प्रयासों से सभी पात्र छात्र/छात्राओं को नियमानुसार अनुमन्य छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा से लाभान्वित किया जा सकेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

सादर,

भवदीय,

16/08/24

(सुभाष चन्द शर्मा)

प्रो0 जे0पी0 पाण्डेय,
कुलपति,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन:- उक्त अर्द्धशासकीय पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आप भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द शर्मा)